

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

महायक कलक्टर

(300) बायतु

अज अदालत..... मुकाम.....

तारापण राम वीरनाम पीराराम वीरनाम

किस्म मुकदमा रा. आवेदन 111, 128 RLP नं. 15/2022 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तापील में जारी हुए
04/01/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रतनाराम चौधरी</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLP</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/02/2022 को पेश हो।</p>	
08/02/2022	<p>प्रार्थी व वकील उपस्थित/विप्रार्थी/विप्रार्थीगण के नोटिस लामिल शुद्ध अप्त जिसे शामिल पत्रावली विप्रार्थीगण/विप्रार्थीगण का पत्र लामिल अनुपस्थित/न्यायालय लमय तीन बार कोवाज लगाई गई किन्तु कोवाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्रार्थीगण लकने मा उनही कोर्ट से कोई अधिकतर उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एडवोकेट कार्यवाही प्रमल में लाई जाली है। अतः वास्ते अदालत पत्रावली दिनांक 08/02/2022 को पेश है।</p>	<p>कलक्टर बायतु</p>

सहायक कलक्टर (SDC) बायतु

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज


न. नं. क. सं.  
जी. इ. नं.  
ता. मिन. सं.

न्यायालय  
2022/103  
प्राथमिक  
कमांक / वाद / 2022 / 103  
नारायण

08/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
(SDO) बायतु

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2022/ 103

दिनांक:- 08/03/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. नारायणराम पुत्र चेनाराम वगैरा 07,  
जाति जाट, निवासी अमरजी की ढाणी,  
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,  
तहसील गिडा (बाडमेर)

1. पीराराम पुत्र जोधाराम वगैरा 76,  
जाति जाट, निवासी पीथाणियों की ढाणी,  
पटवार मण्डल पुनियों का तला,  
तहसील गिडा (बाडमेर)

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956**

राजस्व आवेदन संख्या - 15/2022

## आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - पीथाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल - पुनियों का तला, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 634, 636 रकबा क्रमशः 3.0999, 4.0388 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
(SDO) बायतु  
दिनांक:- 08/03/2022

क्रमांक/वाद/2022/ 104 to 108  
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नारायणराम पुत्र चेनाराम वगैरा 07,
4. विप्रार्थी श्री पीराराम पुत्र जोधाराम वगैरा 76,
5. पुलिस थानाधिकारी गिडा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
(SDO) बायतु